रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4134] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2019/पौष 5, 1941
No. 4134] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2019/PAUSHA 5, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4620(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3975(अ) तारीख 31 अक्तूबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त आदेश में,--

(क) सारणी में,--

(i) क्रम सं. 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :--

क्रम सं.	सदस्य	प्रास्थिति
(1)	(2)	(3)
"2.	प्रधान प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, गोवा या उसके प्रतिनिधि	पदेन सदस्य;
3.	निदेशक, पंचायत निदेशालय या उसके प्रतिनिधि	पदेन सदस्य;
4.	निदेशक, पर्यटन निदेशालय या उसके प्रतिनिधि	पदेन सदस्य;
5.	निदेशक, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय या उसके प्रतिनिधि	पदेन सदस्य;
6.	प्रमुख इंजीनियर, जल संसाधन विभाग या उसके प्रतिनिधि	पदेन सदस्य;
7.	प्रधान प्रमुख इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग या उसके प्रतिनिधि	पदेन सदस्य;";

(ii) क्रम सं. 11 के सामने स्तंभ (2) में हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) पैरा 5 में, खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ix) सभी सदस्य उक्त अधिसूचना के प्रभावी निष्पादन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित बैठकों के लिए सामान्यत: उपस्थित रहेंगे और यदि कोई सदस्य उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह पदधारी के रूप में, जो विषय-वस्तु से अच्छी तरह से परिचित है, प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा"।

[फा.सं. 12-6/2005-आईए-III(भाग)]

अरविन्द कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश अधिसूचना सं. का.आ. 3975(अ) तारीख 31 अक्तूबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 26th December, 2019

S.O. 4620(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O 3975(E), dated the 31st October, 2019, namely :-

In the said order, -

(a) in the Table, -

(i) for serial numbers 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Members	Status
(1)	(2)	(3)
"2.	Principal Chief Conservator of Forest, Department of Forest, Goa or his representative	Member, *exofficio;*
3.	The Director, Directorate of Panchayats or his representative	Member, *exofficio;*
4.	The Director, Directorate of Tourism or his representative	Member, *exofficio;*
5.	The Director, Directorate of Industries, Trade and Commerce or his representative	Member, *exofficio;*
6.	The Chief Engineer, Water Resources Department or his representative	Member, *exofficio;*
7.	Principal Chief Engineer, Public Works Department or his representative	Member, *exofficio;";*

(ii) against serial number 11, in column (2), for the words "Dr. Sujeetkumar Mariapa Dongre", the words "Shri. Sujeetkumar Mariapa Dongre" shall be substituted.

(b) In paragraph 5, after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely: -

"(ix) All Members shall normally remain present for the meetings Scheduled by the Authority for effective enforcement of the said notification and in the event a Member is unable to be present, he or she may depute an official who is well conversant with the subject matter".

[F. No. 12-6/2005- IA-III (pt.)]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st November, 2019, vide number S.O 3975(E), dated the 31st October, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.27 22:24:31 +05'30'